उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
संख्या-22/2016/536/92-2-16-44जांच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 26 मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

चूंकि यह अभिकथित है कि श्री शिवपूजन सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, झॉसी सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखीमपुर खीरी (सेवानिवृत्त) द्वारा चेक अवधि (जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 2004 तक) में ज्ञात वैध स्रोतों से रू0 48,32,912.00 की आय अर्जित की गयी तथा उक्त के सापेक्ष श्री सिंह द्वारा विभिन्न चल/अचल सम्पत्तियो के अर्जन तथा विभिन्न निवेशों पर रू0 61,10,894.00 व्यय किया गया। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा आय की तुलना में रू0 12,77,982.00 अनानुपातिक व्यय किया गया, जो 26.44 प्रतिशत अनानुपातिक है। उक्त अनानुपातिक व्यय के संबंध में श्री शिवपूजन सिंह न तो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके और न ही इस अनानुपातिक व्यय का औचित्य ही प्रमाणित कर सके। इस संबंध में मु0अ0सं0-994/2006 अंतर्गत् धारा-13(1) (ई) सपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत संबंधित थाना प्रेमनगर, जनपद झॉसी में पंजीकृत कराया गया तथा प्रकरण की विवेचना सतर्कता विभाग से करायी गयी। विवेचना में अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत साक्ष्य पाया गया।

2- चूंकि मु0अ0संख्या-994/2006, थाना-प्रेमनगर, जनपद-झॉसी की जांच संख्या-99/2006 में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों में श्री शिवपूजन सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, झॉसी सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखीमपुर खीरी (सेवानिवृत्त) के विरूद्व प्रथम दृष्टया ऐसे अपराध बनते हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) के अधीन दण्डनीय है।

3- चूंकि उक्त अभिकथन के संबंध में प्रस्तुत की गयी सामग्री तथा मामले की सामग्री एवं परिस्थितियों का पूर्ण रूपेण और सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त श्री शिवपूजन सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, झॉसी सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखीमपुर खीरी (सेवानिवृत्त) को उक्त अपराधों के लिये सक्षम न्यायालय में अभियोजित किया जाय।

4- अतएव अब राज्यपाल एतद्द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उक्त अपराध के लिये और उपर्युक्त कार्यो के संबंध में विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किन्ही अन्य अपराधो के लिये उक्त श्री शिवपूजन सिंह को अभियोजित करने और उक्त अपराध का किसी अधिकारिता युक्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के लिये मंजूरी प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2016/536(1)/92-2-16 तदद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उपसचिव, सतर्कता अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के अर्द्वशासकीय प0सं0-1330/39-1-15-2एस(15)/2000 दिनांक 02-03-2016 के संदर्भ में।

2- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

3- निदेशक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, झांसी।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।